न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 149/2016

विजेन्द्रलाल पुत्र खूबीराम जाति ब्राहमण निवासी नगला बृजलाल मजरा कैर तहसील बयाना जिला भरतपुर ....अपीलान्ट

बनाम

1. सन्तोषदेवी पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी नगला बृजलाल मजरा कैर तहसील बयाना जिला भरतपुर ....असल रैस्पो0

2. रामदयाल पुत्र खूबीराम
3. रेनूदेवी पत्नी लखनलाल
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना ....तरतीवी रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 07.02.2013 तहसीलदार बयाना। बाबत नामान्तरकरण संख्या 916 वाकै ग्राम कैर तहसील बयाना

उपस्थित :– 1. श्री नारायणसिंह अभि0 अपी0
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 06.01.2022

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना, अपीलाधीन आदेश में बयनामा के आधार पर दिनांक 07.02.2013 पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई
नामान्तरकरण संख्या 916 बाकै ग्राम कैर तहसील बयाना
है। नामान्तरकरण संख्या 326 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। वकील
उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को
दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 ने दिनांक 05.09.2012
एक बयनामा कराया था जिसमें से खसरा नम्बर 2549 / 0.16, 2560 / 0.6, 2561 / 0.5,
2622 / 0.20, 2696 / 0.17 कुल किता 5 रकवा 0.64 ऐयर अकेली रैस्पो0 संख्या 1 सन्तोषदेवी
पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राहमण ने खरीद किया था। इस बयनामें के शेष खसरा नम्बर
2606 / 0.7, 2607 / 0.2 किता 2 रकवा 9 हैक्टेयर एवं 2625 रकवा 30 ऐयर, 2626 करवा 0.
10 ऐयर किता 2 रकवा 40 ऐयर एवं खसरा नम्बर 2535 रकवा 0.48 ऐयर, 2537 रकवा 45
ऐयर, 2548 रकवा 10 ऐयर, 2550 रकवा 25 ऐयर, 2551 रकवा 46 ऐयर, 2552 रकवा 20
ऐयर, 2553 रकवा 7 ऐयर, 2554 रकवा 15 ऐयर, 2555 करवा 53 ऐयर, 2559 रकवा 0.05
ऐयर, 2638 रकवा 0.20 ऐयर, 2646 रकवा 5 ऐयर, 2649 रकवा 8 ऐयर, 2651 रकवा 20
ऐयर, 2652 करवा 11 ऐयर, 2653 रकवा 25 ऐयर, 2654 रकवा 15 ऐयर, 2655 रकवा 15
ऐयर, 2658 रकवा 16 ऐयर, 01 ऐयर, 2700 रकवा 75 ऐयर, 2701 रकवा 3 ऐयर, कुल किता
22 रकवा 4.88 हैक्टेयर एवं 2594 रकवा 5 ऐयर, 2595 रकवा 14 ऐयर, 2623 रकवा 05 ऐयर,
कुल किता 3 रकवा 24 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2514 रकवा 16 ऐयर, 2522 रकवा 7 ऐयर,
2562 रकवा 2 ऐयर, 2566 रकवा 70 ऐयर, 2567 रकवा 12 ऐयर, 2568 रकवा 6 ऐयर, 2569
रकवा 10 ऐयर कुल किता 10 रकवा 2.10 हैक्टेयर है। उक्त आराजी खसरा नम्बरान
अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 2 व 3 ने न्यारा न्यूर खरीदे है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि
इन्तकाल नम्बर 916 दिनांक 07.02.2013 को भरा गया है। उक्त आराजी में रैस्पो0 संख्या 1
का नाम भी दर्ज कर दिया है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 ने यह नम्बर नहीं खरीदे है। अधीनस्थ
न्यायालय ने रजिस्टर्ड बयनामा की अनदेखी की है और रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर सही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

सही दाखिल खारिज नहीं खोला गया है। अपीलान्ट को दाखिल खारिज मंजूर होने की जानकारी दिनांक 10.11.2016 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

वक्त सुनवाई रैस्पो0 संख्या 1, 2, 3 ने स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दाखिल खारिज संख्या 916 को तहसीलदार बयाना द्वारा राजस्व कैम्प कैर में गलत मंजूर कर दिया क्योकि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट को वहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जबकि मुताविक विकय पत्र मात्र 5 खसरा नम्बरान 2549/0.16, 2560/0.6, 2561/0.05, 2622/0.20, 2696/0.17 किता 5 को रैस्पो0 संख्या 1 संतोषदेवी ने ही खरीद किया है। शेष खसरा नम्बरान के हिस्सा को अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 2 लगायत 3 ने बहिस्सा बराबर खरीद किया था जबकि राजस्व कैम्प कैर में उक्त दाखिल खारिज में उक्त खसरा नम्बरान पर वहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया इसलिये दाखिल खारिज नम्बर 916 निरस्त किया जाकर मुताविक बयनामा दर्ज किया जावे। पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय यह तकनीकी गलती हुई जिसको सही किया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। बयनामा दिनांक 05.09.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 2606, 2607 में विकेता राधेश्याम द्वारा अपने 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्से का बेचान केतागण 2 लगायत 4, रामदयाल, रेनू, विजेन्द्र के हक में किया है, जबकि नामन्तरकरण में कॉलम 8 में केतागण 1लगा.4 सभी के नाम दर्ज किये है। खाता संख्या 304 खसरा नम्बर 2625, 2626 के अपने 1/2 हिस्से का बेचान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

केतागण 2 लगायत 4 के पक्ष में किया हैं। जबकि नामान्तरकरण संख्या 916 में खसरा नम्बर कॉलम 8 में सभी केतागण के नाम दर्ज हुआ है। इसी प्रकार खाता संख्या 129 में वशरह सदर हिस्सा 10/23 दर हिस्सा 1/5 अंकित है। मुताविक बयनामा केता संख्या 1 संतोष के नाम स्वीकार हुआ है। जबकि खाता संख्या 131 में खाता संख्या 130 का नामान्तरकरण सभी केतागण के नाम दर्ज हुआ है जबकि बयनामा में केवल विकेता द्वारा 1/6 हिस्सा का 1/2 हिस्सा केवल केतागण 2 लगायत 4 के नाम हुआ है। इस प्रकार नामान्तरकरण एवं बयनामे दोनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 916 दिनांक 07.02.2013 बयनामा दिनांक 05.09.2012 के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया है। उपर्युक्त आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 916 दिनांक 07.02.2013 निरस्त किया जाकर तहसीलदार बयाना को निर्देशित किया जाता है कि मुताविक बयनामा दिनांक 05.09.2012 नामान्तरकरण स्वीकार किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)